न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीलडिक्री/टीए/3503//2006/जयपुर

बोदूराम पुत्र नानगराम जाति कुमावत, निवासी जोबनेर, तहसील फुलेरा मु0सांभरलेक, जिला जयपुर।

अपीलाण्ट

बनाम

1- डीन एवं प्राचार्य कृषि कॉलेज, जोबनेर तहसील फुलेरा मु0सांभरलेक, जिला जयपुर।
2- रजिस्ट्रार उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर तहसील व जिला उदयपुर।

रेस्पोडेण्ट्स

खण्डपीठ
डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य
श्री भंवरसिंह सान्दू, सदस्य

उपस्थित
श्री सुनील पारीक, अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री दूनीचन्द ढिढारिया, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 10-7-2006

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15-4-2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/वादी द्वारा रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी के विरूद्ध एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक के न्यायालय में प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम आसलपुर तहसील फुलेरा में स्थित आराजी खसरा नंबर 189 रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा जागीर के समय से जोबनेर ठाकुर नरेन्द्र सिंह की जागीर थी जिस पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त था एवं जागीर रिज्यूम होने पर उक्त आराजी कृषि कालेज के नाम जागीर की अन्य जमीन आने से कॉलेज के नाम करा ली । अतः उक्त खातेदारी निरस्त कर अपीलाण्ट के नाम खातेदारी दी जावे । रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी द्वारा उक्त दावे का जबावदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त भूमि

राजस्व रिकार्ड में उनके कब्जे काश्त में है । दावे व जबावदावे के आधार पर 6 तनकियात कायम की गई । उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 25-10-2004 द्वारा अपीलाण्ट का दावा निरस्त कर दिया । उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 15-4-2006 से अपील निरस्त कर दी । प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 15-4-2006 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3- हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी ।

4- विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस में तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत है । उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने तनकी का सही विवेचन नहीं कर साक्ष्य को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया है । उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा खसरा गिरदावरी संवत 2022 से 2021 तक एवं लगान रसीदें एवं जमाबन्दी संवत 2006 प्रस्तुत की थी जिससे अपीलाण्ट का कब्जा काश्त साबित था । खसरा गिरदावरी संवत 2011 से 2019 एवं 2031 से 2037 तक निरतंर वादी बोदू एवं बोदू के पिता का नाम काश्त करने वाले के कॉलम में अंकित चला आ रहा है लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों ने मौखिक साक्ष्य का समुचित एवं विधिक तौर पर विश्लेषण किए बिना दावा साबित होना नहीं मानकर खारिज करने में त्रुटि की है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय इस आधार पर भी निरस्तनीय है कि न्यायालय द्वारा प्रत्येक तनकी पर स्पष्ट फाईण्डिंग प्रदान कर उक्त बिन्दु पर समुचित कारणों का उल्लेख करते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिए । आदेश 41 नियम 31 व आदेश 20 नियम 1 सीपीसी के प्रावधानों की अनदेखी कर निर्णय पारित किए गए है जो निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किए जावें।

5- विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है। उनका कथन है कि विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व से संवत 2011 के पूर्व से ही कॉलेज को आवंटित हुई थी । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16(xii) के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं को आवंटित भूमि में खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबंधित है। उनके द्वारा आवंटन को चुनौती नहीं दी गई है । मात्र गिरदावरियों में नाम

होने से खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते तथा गिरदावरी काश्तकार का अधिकार अभिलेख नहीं है । अपीलार्थी की हैसियत मात्र अतिक्रमी की हो सकती है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती निष्कर्षो पर आधारित निर्णय है जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है । अत अपील खारिज की जावे ।

6- हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया ।

7- पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि जमाबन्दी संवत 2012 से 2018 में खसरा नबर 189 रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा एग्रीकल्चर कॉलेज खुदकाश्त दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2038-2041 में भी एग्रीकल्चर कॉलेज जोबनेर का नाम दर्ज है । रेस्पोडेण्ट द्वारा इस संबंध में लगान की रसीदें भी प्रस्तुत की है । अपीलाण्ट द्वारा सहायक कलेक्टर के समक्ष दावा इस आधार पर प्रस्तुत किया था कि आराजी खसरा नंबर 189 रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा कदीम से उसके कब्जे काश्त की भूमि है एवं उसके द्वारा अनुतोष भी यही चाहा गया था कि आराजी खसरा नंबर 189 रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा के कब्जे काश्त की भूमि पर उसे खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को पाबद किया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त की भूमि पर किसी प्रकार मजाहमत न करे । अपीलाण्ट द्वारा अपने वाद के समर्थन में खसरा गिरदावरी पेश की है । अपीलाण्ट द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा खसरा गिरदावरी के आधार पर चाही गई है जबकि इसके विपरीत रेस्पोडेण्ट द्वारा अपने पक्ष में राजस्व रिकार्ड की जमाबंदिया प्रस्तुत की है जिसमें एग्रीकल्चर कॉलेज का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16(xii) में यह प्रावधान दिए हुए है जो निम्न प्रकार है-

16. Land in which Khatedari rights shall not accrue— Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in.

(xii) land held or acquired by educational institutions for purposes of instruction in agriculture or for play- ground.

इस प्रकार उक्त धारा के तहत रेस्पोडेण्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज है । जबकि अपीलाण्ट की स्थिति हस्तगत प्रकरण में प्रतिकूल कब्जे पर आधारित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी दिए जाने का प्रावधान नहीं है । गिरदावरी कोई अधिकार अभिलेख भी नहीं है । इस संबंध में आर.बी.जे. 2017 एचसी पृष्ठ 625 उनवानी श्रेया बनाम ग्राम पंचायत के प्रकरण में यह अभिमत प्रतिपादित किया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। इसी प्रकार (1994) 6 SCC 591 Thakur Kishan Singh (Dead) v/s Arvind Kumar, (2004) 10 SCC 779 Dr. Mahesh Chand Sharma v/s Raj Kumari Sharma, (1964) 6 SCR 780 S.M. Karim v/s Bibi Sakinal, (1993) 4 SCC 375Parsinni v/s Sukhi, AIR 1997 SC 2930 D.N. Venkatarayappa v/s State of Karnataka, (2014) SCC 669 Gurdwara Sahib v/s Gram Panchayat Sirthala में भी यही अभिमत प्रतिपादित किया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं।

इसी प्रकार आर.बी.जे. 2011(18) पृष्ठ 387 पर भी यह अभिमत प्रतिपादित किया है कि–

ADVERSE POSSESSION- On the basis of adverse possession no khatedari rights accrues to any person on agricultural land.

इस प्रकार अपीलाण्ट की स्थिति एक अतिक्रमी की हो सकती है जबकि इसके विपरीत रेस्पोडेण्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से दर्ज है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा तनकीवार निर्णय पारित किए है जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 224 का अवलोकन करना उचित समझते हैं जो इस प्रकार है–

224- Appeals from appellate decrees - (1) An appeals shall lie to the [revenue appellate authority] from a decree passed in appeal by a Collector.

(2) An appeal shall lie to the Board from a decree passed in appeal by a [revenue appellate authority] on any of the following grounds, namely:-

(i) the decision being contrary to law or to some usage having the force of law;

(ii) the decision having failed to determine some material issue of law or usage having the force of law;

(iii) a substantial error or defect in the procedure provided by or under this Act or by any other law for the time being

> in force, which may possibly have produced an error or defect in the decision of the case upon the merits and
> (iv) the decision being contrary to the weight of evidence on record where the lower appellate court have varied or reversed any finding of the trial court on a question of fact."

उक्त धारा के आलोक में हस्तगत प्रकरण में हमें ऐसा कोई आधार नजर नहीं आता है, जिससे इस अपील को ग्राह्य (admit) किया जावे । इस संबंध में ए0आई0आर0 1977 एससी पृष्ठ 2421 उनवानी अरविन्दम बनाम टी.वी. सत्यपाल और अन्य में यह मत अभिनिर्धारित किया है कि

We have not the slightest hesitation in condemning the petitioner for the gross abuse of the process of the court repeatedly and unrepentantly resorted to. From the statement of the facts found in the judgment of the High Court, it is perfectly plain that the suit now pending before the First Munsif's Court, Bangalore, is a flagrant misuse of the mercies of the law in receiving plaints. The learned Munsif must remember that if on a meaningful-not formal-reading of the plaint it is manifestly vexatious, and meritless, in the sense of not disclosing a clear right to sue, he should exercise his power under Or. VII r. 1 1 C.P.C. taking care to see that the ground mentioned therein is fulfilled. And, if clever, drafting has created the illusion of a cause of action, nip it in the bud at the first hearing by examining the party searchingly under Order X C.P.C. An activist Judge is the answer to irresponsible law suits. The trial court should insist imperatively on examining the party at the first hearing so that bogus litigation can be shot down at the earliest stage.

हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा की जा रही कार्यवाही सुलभ न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है । उक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में न्यायिक प्रक्रिया के दुरूपयोग के प्रकरणों को आरंभ में ही निरस्त किया जाना उचित होता है । इस प्रकार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील उक्त धारा में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं है न ही इस अपील में विधि का कोई प्रश्न ही अन्तर्वलित है, जिससे कि द्वितीय अपील के माध्यम से ऐसे विधिसम्मत आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सके । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती निष्कर्षो पर आधारित हैं। जैसा कि आर.बी.जे. 2018 पृष्ठ 215 उनवानी श्री चारभुजा जी बनाम हीरादास पर यह अभिमत निर्धारित किया है कि

''जब अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में किसी प्रकार की कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं है, तब द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न्यायोचित नहीं है। जो अभिवाक् प्रारंभिक स्तर पर नहीं उठाया उसे द्वितीय अपील के स्तर पर नहीं उठाया जा सकता''।

इसी प्रकार आर.आर.डी. 2007 पृष्ठ 587 पर माननीय उच्च न्यायालय की रिट पीटीशन सं0 1231/1998 उनवानी गणेश बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में भी यही मत अभिनिर्धारित किया है कि –

Held, the concurrent findings of fact arrived at by the two courts below could not have been interfered with in second appeal by Board of Revenue.

ए.आई.आर. 2022 पृष्ठ 24 पर यह अभिमत निर्धारित किया है कि–
Second appeal-Concurrent findings of law and facts- In normal circumstances High Court, while exercising powers is restrained from re-appreciating evidence available on record- concurrent findings of fact and law recorded by subordinate Courts cannot be interfered with unless same are found to be perverse to extent that no judicial person could ever record such findings.

अतः उक्त न्यायिक दृष्टांतों यह द्वितीय अपील सारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त योग्य है।

8– उक्त विवेचन के आधार पर एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत अपील को ग्राह्यता का आधार नहीं होने से यह अपील ग्राह्यता(admission) के स्तर पर ही खारिज की जाती हैं। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय यथावत रखे जाते हैं । प्रार्थना–पत्र, कोई लम्बित हो तो, तदानुसार निस्तारित किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भंवरसिह सान्दू) — सदस्य

(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर) — सदस्य